न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जायल जिला नागौर
पिठासीन अधिकारी श्री सुरेश कुमार प्रथम (आर0ए0एस0)

राजस्व वाद संख्या– 68/2018

1– राजूसिंह पुत्र नरपतसिंह
2– सायरसिंह पुत्र नरपतसिंह
3– महेन्द्रसिंह पुत्र नरपतसिंह
4– बहादुरसिंह पुत्र नरपतसिंह जाति राजपूत निवासी मांगलोद तहसील जायल जिला नागौर।

.....वादीगण

बनाम

1– नरपतसिंह पुत्र शैतानसिंह
2– प्रेमकंवर पुत्री नरपतसिंह जाति राजपूत निवासी मांगलोद तहसील जायल जिला नागौर।
3– सरकार जरिये तहसीलदार जायल जिला नागौर।

..... प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53 व 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित अधिवक्तागण:–

1– श्री दशरथसिंह राठौड वादीगण की ओर से।
2– श्री नरेन्द्रसिंह राठौड प्रतिवादी सं. 01 की ओर से।

–: निर्णय :–

दिनांक 09.08.2019

वादी वादीगण का संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 02 आपस मे सगे भाई बहन है तथा प्रतिवादी सं. 01 के जाइन्दा सन्तान है जिनके बडेर की भूमि मौजा मांगलोद के खेत खसरा नम्बर 76 रकबा 30 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नं. 245 रकबा 12 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नं. 369 रकबा 12 बीघा 05 बिस्वा, खसरा नं. 699/1 रकबा 09 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नं. 738/1 रकबा 35 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नं. 803 रकबा 12 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नं. 852/1 रकबा 13 बीघा 02 बिस्वा व मौजा पीडियारा खसरा नं. 296/14 रकबा 12 बीघा 08 बिस्वा आयी हुई है। जिसमे हम वादीगण का कानूनी हिस्सा व बट है। वादीगण व प्रतिवादी सं. 01 व 02 के बीच मे सहमति व जुबानी बटवाडा सम्वत 2065 की आखातीज को कर लिया है। बटवाडा स्कीम निम्न प्रकार है:–

1. वादी सं. 01 राजूसिंह के हकबट में मौजा मांगलोद के खेत खसरा नं. 245 रकबा 12 बीघा 15 बिस्वा सम्पूर्ण, खेत खसरा नं. 852/1 रकबा 13 बीघा 02 बिस्वा में से 06 बीघा 11 बिस्वा पूर्वी भाग, खेत खसरा नं. 369 रकबा 12 बीघा 05 बिस्वा मे से 04 बीघा 02 बिस्वा उत्तरी भाग व खेत खसरा नं. 699/1 रकबा 09 बीघा 15 बिस्वा मे से 02 बीघा 09 बिस्वा पूर्वी भाग रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।
2. वादी सं. 02 सायरसिंह के हकबट मे मौजा मांगलोद के खेत खसरा नं. 852/1 रकबा 13 बीघा 02 बिस्वा में से 06 बीघा 11 बिस्वा पश्चिमी भाग, खेत खसरा नं. 369 रकबा 12 बीघा 05 बिस्वा में से 08 बीघा 03 बिस्वा दक्षिणी भाग, खेत खसरा नं. 699/1 रकबा 09 बीघा 15 बिस्वा में से 02 बीघा 09 बिस्वा मध्य भाग राजूसिंह के विपरीत पश्चिमी हिस्सा व खेत खसरा नं. 76 रकबा 30 बीघा 14 बिस्वा मे से 08 बीघा 14 बिस्वा दक्षिणी भाग रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।
3. वादी सं. 03 महेन्द्रसिंह के हक बंट में मौजा मांगलोद के खेत खसरा नम्बर 699/1 रकबा 09 बीघा 15 बिस्वा में से 02 बीघा 08 बिस्वा पश्चिमी भाग, खेत खसरा नम्बर 76 रकबा 30 बीघा 14 बिस्वा में से 11 बीघा 01 बिस्वा पश्चिमी भाग, खेत खसरा नम्बर 803 रकबा 12 बीघा 10

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
जायल, जिला नागौर

Scanned by CamScanner

बिस्वा में से 06 बीघा 05 बिस्वा पूर्वी भाग तथा मौजा पीढ़ियारा के खेत खसरा नम्बर 296/14 रकबा 12 बीघा 08 बिस्वा में से 06 बीघा 04 बिस्वा उत्तरी भाग रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।

4. वादी सं. 04 बहादुरसिंह के हक बंट में मौजा मांगलोद के खेत खसरा नम्बर 699/1 रकबा 09 बीघा 15 बिस्वा में से 02 बीघा 09 बिस्वा मध्य भाग सायरसिंह के हिस्से के चिपता पश्चिमी भाग, खेत खसरा नम्बर 803 रकबा 12 बीघा 10 बिस्वा में से 06 बीघा 05 बिस्वा पश्चिमी भाग, खेत खसरा नम्बर 76 रकबा 30 बीघा 14 बिस्वा मे से 10 बीघा 19 बिस्वा उत्तरी-पूर्वी भाग तथा मौजा पीढ़ियारा के खेत खसरा नम्बर 296/14 रकबा 12 बीघा 08 बिस्वा में से 06 बीघा 04 बिस्वा दक्षिणी भाग रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।
5. वादीगण राजूसिंह, सायरसिंह, महेन्द्रसिंह, बहादुरसिंह तथा प्रतिवादी संख्या नरपतसिंह व प्रेमकंवर के संयुक्त हकबंट में मौजा मांगलोद का खसरा नम्बर 738/1 रकबा 35 बीघा 16 बिस्वा रखा जाकर सहखातेदार घोषित किये जाते है।

अतः दावा पेश कर इस्तदुआ वादीगण है कि वाद के पैरा संख्या 04 के उप पैरा क, ख, ग, घ व ङ के अनुसार डिक्री सादिर फरमाई जावे।

वाद वादीगण का दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को नोटिस जारी किये गये। प्रतिवादी सं. 01 व 02 की ओर से वकील श्री नरेन्द्रसिंह राठौड ने वकालतनामा मय राजीनामा पेश किया। प्रतिवादी सं. 03 बावजूद तामील गैर हाजिर रहने से उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वकील वादी व वकील प्रतिवादी सं. 01 व 02 की ओर से इनकी पहचान देकर इन की ओर से राजीनामा पेश किया।

वादीगण व प्रतिवादीगण सं. 01 व 02 के बीच राजीनामा होने के कारण वाद में विवाधक बिन्दु तय नहीं किये गये। प्रकरण में विद्धवान अधिवक्ताओं वकील वादीगण व वकील प्रतिवादीगण सं. 01 व 02 की बहस सुनी गई। वकील वादी ने वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए वाद पत्र में अंकित तथ्यों के अनुसार खातेदारी घोषित की जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार जायल को तहरीर जारी की जाकर वाद को निर्णित करते हुए वाद को डिक्री किये जाने का अनुरोध किया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। विद्धवान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया। सभी पक्षकारों में राजीनामा होने के कारण राजीनामे के अनुसार वादीगण का वाद निम्न प्रकार से स्वीकार कर डिक्री किया जाता है :-

1. वादी सं. 01 राजूसिंह के हकबंट में मौजा मांगलोद के खेत खसरा नं. 245 रकबा 12 बीघा 15 बिस्वा सम्पूर्ण, खेत खसरा नं. 852/1 रकबा 13 बीघा 02 बिस्वा में से 06 बीघा 11 बिस्वा पूर्वी भाग, खेत खसरा नं. 369 रकबा 12 बीघा 05 बिस्वा में से 04 बीघा 02 बिस्वा उत्तरी भाग व खेत खसरा नं. 699/1 रकबा 09 बीघा 15 बिस्वा मे से 02 बीघा 09 बिस्वा पूर्वी भाग रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।
2. वादी सं. 02 सायरसिंह के हकबंट में मौजा मांगलोद के खेत खसरा नं. 852/1 रकबा 13 बीघा 02 बिस्वा मे से 06 बीघा 11 बिस्वा पश्चिमी भाग, खेत खसरा नं. 369 रकबा 12 बीघा 05 बिस्वा मे से 08 बीघा 03 बिस्वा दक्षिणी भाग, खेत खसरा नं. 699/1 रकबा 09 बीघा 15 बिस्वा में से 02 बीघा 09 बिस्वा मध्य भाग राजूसिंह के चिपता पश्चिमी हिस्सा व खेत खसरा नं. 76 रकबा 30 बीघा 14 बिस्वा में से 08 बीघा 14 बिस्वा दक्षिणी भाग रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।
3. वादी सं. 03 महेन्द्रसिंह के हक बंट में मौजा मांगलोद के खेत खसरा नम्बर 699/1 रकबा 09 बीघा 15 बिस्वा में से 02 बीघा 08 बिस्वा पश्चिमी भाग, खेत खसरा नम्बर 76 रकबा 30 बीघा 14 बिस्वा में से 11 बीघा 01 बिस्वा पश्चिमी भाग, खेत खसरा नम्बर 803 रकबा 12 बीघा 10 बिस्वा मे से 06 बीघा 05 बिस्वा पूर्वी भाग तथा मौजा पीडियारा के खेत खसरा नम्बर 296/14

Scanned by CamScanner

रकबा 12 बीघा 08 बिस्वा में से 06 बीघा 04 बिस्वा उतरी भाग रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।

4. वादी सं. 04 बहादुरसिंह के हक वंट में मौजा मांगलोद के खेत खसरा नम्बर 699/1 रकबा 09 बीघा 15 बिस्वा में से 02 बीघा 09 बिस्वा मध्य भाग सायरसिंह के हिस्से के चिपता पश्चिमी भाग, खेत खसरा नम्बर 803 रकबा 12 बीघा 10 बिस्वा में से 06 बीघा 05 बिस्वा पश्चिमी भाग, खेत खसरा नम्बर 76 रकबा 30 बीघा 14 बिस्वा में से 10 बीघा 19 बिस्वा उतरी–पूर्वी भाग तथा मौजा पीडियारा के खेत खसरा नम्बर 296/14 रकबा 12 बीघा 08 बिस्वा में से 06 बीघा 04 बिस्वा दक्षिणी भाग रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।
5. वादीगण राजूसिंह, सायरसिंह, महेन्द्रसिंह, बहादुरसिंह तथा प्रतिवादी संख्या नरपतसिंह व प्रेमकंवर के संयुक्त हकवंट में मौजा मांगलोद का खसरा नम्बर 738/1 रकबा 35 बीघा 16 बिस्वा रखा जाकर सहखातेदार घोषित किये जाते है।

–: आदेश :–

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थतियों के आधार पर वाद वादीगण का स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है। इसी माफिक डिक्री पर्चा भरा जाकर तहसीलदार जायल को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी हो।

(सुरेश कुमार प्रथम)
सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
जायल, जिला नागौर

निर्णय आज दिनांक 09.08.2019 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेश कुमार प्रथम)
उपखण्ड अधिकारी (जायल)
जायल, जिला नागौर

Scanned by CamScanner